डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.nic.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 60 ● अंक 11 ● भोपाल ● 1-15 नवम्बर, 2016 ● पृष्ठ 24 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

राशन दुकानों को बहुउद्देशीय बनाने और बिल्डिंग मटेरियल बैंक की स्थापना हेतु राजस्थान और पुण्डुचेरी जायेगा दल

राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने की समीक्षा

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों को बहु-उद्देश्यीय और बिल्डिंग मटेरियल बैंक बनाने के संबंध में एक टीम राजस्थान और पुण्डुचेरी भेजी जायेगी। टीम की अध्ययन रिपोर्ट के बाद प्रदेश में क्रियान्वयन शुरू किया जायेगा। उन्होंने सहकारी मंथन की अनुशंसाओं को लागू करने के लिये समय-सीमा तय करने को कहा। श्री सारंग सहकारिता और उससे जुड़ी संस्थाओं की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी और आयुक्त सहकारिता श्री कवीन्द्र कियावत उपस्थित थे। राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारी मंथन में दो दिन के विचार-विमर्श के बाद आयी सिफारिशों के क्रियान्वयन पर काम करने की गति तेज हो। उन्होंने कहा कि इससे हम प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत बना पायेंगे। उन्होंने आवास संघ से कहा कि वह प्रधानमंत्री की योजना **हाउस फॉर ऑल** के क्रियान्वयन के लिये जमीन के चिन्हांकन की कार्यवाही में तेजी लायें। ग्रामीण सहकारी साख समितियों के जरिये चलने वाली राशन दुकानों को बहु-उद्देश्यीय बनाने के संबंध में उन्होंने राजस्थान पेटर्न का अध्ययन करने के लिये तत्काल एक टीम भेजने को कहा। इसी तरह बिल्डिंग मटेरियल बैंक बनाने के संबंध में पुण्डुचेरी में चल रहे बैंक की भी जानकारी लाने के लिये एक दल भेजने को कहा। श्री सारंग ने कौशल उन्नयन के मामले में राज्य सहकारी संघ द्वारा तत्काल संघ एनएसडीसी में कौशल उन्नयन के लिये रजिस्ट्रेशन करवाये और आगे की कार्यवाही तेजी से करने के निर्देश दिए। श्री सारंग ने बताया कि पेक्स का कम्प्यूटराइजेशन किये जाने के संबंध में प्रस्तुतिकरण तैयार हो गया है। शीघ्र ही इसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। श्री सारंग ने रचना नगर परियोजना की भी समीक्षा करते हुए विधायकों और सांसदों के आवास समय-सीमा में बनाने को कहा।

मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना 6 लाख किसानों को 88 करोड़ से अधिक की मदद

भोपाल। किसानों के लिये शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना में प्रदेश के 6लाख से अधिक किसानों को 88करोड़ 44 लाख रूपये की सहायता दी गई है। योजना मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2015 से शुरू की है। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रबी सीजन 2015-16से किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि की लागत को कम करते हुए कृषि उत्पादन के साथ कृषकों की आय में वृद्धि करना और कृषि को लाभप्रद बनाने में उन्हें सहायता करना है। श्री सारंग ने बताया कि योजना में जो किसान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से अल्पावधि ऋण लेकर उसका 90 प्रतिशत राशि निर्धारित तारीख पर चुकता कर देते हैं, उन्हें इसका लाभ दिया जायेगा। राज्य शासन ने किसानों को यह सुविधा भी दी है कि अगर वह किसी समिति के डिफाल्टर सदस्य हैं तो वे अपना पूर्व का ऋण चुकता कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान अल्पावधि के लिये वस्तु और नगद के रूप में जो ऋण लेंगे, उसमें विपणन संघ, बीज सहकारी संघ या उससे संबद्ध बीज सहकारी समितियों से भी जो किसान खाद-बीज लेंगे वह इस योजना में ऋण वस्तु के रूप में मान्य होगा। योजना में कृषक को दी जाने वाली सहायता अनुदान की सीमा वस्तु ऋण के 10 प्रतिशत के मान से अधिकतम 10 हजार रूपये होगी।

अभी तक 38जिलों के 6लाख 12 हजार किसानों को लाभ मिला है। उन्हें अनुदान के रूप में 88 करोड़ 44 लाख रूपये की राशि मिली है। इनमें जबलपुर में 7 हजार 651, मंडला 4 हजार 334, बालाघाट 13 हजार 490, छिंदवाड़ा 16 हजार 132, सिवनी 13 हजार 621, नरसिंहपुर 8 हजार 908, सागर 15 हजार 526, दमोह 13 हजार 337, पन्ना 4 हजार 739, छतरपुर 9 हजार 239, टीकमगढ़ 4218, रीवा 14 हजार 474, सतना 15 हजार 150, सीधी 5 हजार 160, शहडोल 8हजार 873, इंदौर 27 हजार 798, धार 18हजार 307, झाबुआ 1 हजार 803, खरगोन 29 हजार 426, खण्डवा 12 हजार 258, उज्जैन 33 हजार 128, रतलाम 25 हजार 617, मंदसौर 25 हजार 759, देवास 37 हजार 195, शाजापुर 32 हजार 251, ग्वालियर 4 हजार 325, शिवपुरी 6 हजार 105, गुना 10 हजार 18, दतिया 27, भिण्ड 11 हजार 278, मुरैना 16 हजार 696, भोपाल 9 हजार 649, सीहोर 34 हजार 363, रायसेन 8हजार 322, विदिशा 33 हजार 23, राजगढ़ 30 हजार 784, बैतूल 21 हजार 125 और होशंगाबाद के 27 हजार 821 किसानों को योजना का लाभ मिला है।

वित्तीय पत्रक प्रकाशित

इस अंक में निम्न बैंकों के वित्तीय पत्रक प्रकाशित किये जा रहे हैं।

1.	बासोदा नागरिक सहकारी बैंक, गंजबासोदा	5 से 6
2.	इंदौर प्रीमियर को-आपरेटिव बैंक लि., इंदौर	7 से 9
3.	सत्यसाईं नागरिक सहकारी बैंक, भोपाल	10 से 11
4.	भोपाल सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., भोपाल	12 से 13
5.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार	14 से 18
6.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा	19 से 22

कृपया ध्यान दें

बैंकों के वित्तीय पत्रक प्रकाशन की समय-सीमा 31 दिसम्बर, 2016 है, समय सीमा को दृष्टिगत रखते हुए, बैंकों से अपेक्षा है कि अपने वित्तीय पत्रक प्रकाशन हेतु शीघ्र साफ्ट कापी **ई-मेल rajyasanghbpl@yahoo.co.in से एवं हार्ड कापी म.प्र. राज्य सहकारी संघ, ई-8/77, शाहपुरा, भोपाल-462039, मध्यप्रदेश के पते पर शीघ्र भेजें।** इस हेतु राज्य संघ के पत्र का अवलोकन कर लें।

63वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2016 के कार्यक्रम आयोजन की रूपरेखा

कार्यालय आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश
क्रमांक :शि.प्र./2016/102 भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
शीर्ष सहकारी संस्थायें (समस्त)
मध्यप्रदेश ।

विषय – 63 वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2016 का आयोजन ।

विषयान्तर्गत 63 वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2016 के कार्यक्रम आयोजन संबंधी बैठक दि0 20.10.2016 का कार्यवाही विवरण पत्र के साथ संलग्न है, जिसमें राज्य स्तर पर सहकारी सप्ताह आयोजन हेतु प्रत्येक दिवस के कार्यक्रम आयोजन हेतु नोडल संस्था का निर्धारण किया गया है । कृपया नियत दिनांकों पर संबंधित नोडल संस्था द्वारा कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया जाये ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(कवीन्द्र कियावत)
आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक :शि.प्र./2016/102 भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि –

1. संयुक्त आयुक्त (समस्त), सहकारिता, मध्यप्रदेश ।
2. उप/सहायक आयुक्त (समस्त) सहकारिता, मध्यप्रदेश

की ओर प्रेषित कर लेख किया जाता है कि कार्यवाही विवरण में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक दिवस पर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु स्पष्ट रूप रेखा नियत की जावे एवं कार्यक्रमों के निष्कर्षों तथा कार्यवाही विवरण में वर्णित अनुसार निर्देशों से मुख्यालय को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जावे । जिन ज़िलों में उप चुनाव के कारण आचार संहिता प्रभावशील है, उन ज़िलों के संबंधित अधिकारीगण कार्यक्रम आयोजित करने के पूर्व कलेक्टर से मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी दशा में आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति न बने ।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

63वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2016 अंतर्गत प्रदेश व जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजन हेतु दिवसवार कार्यक्रम निर्धारित व नोडल संस्था निर्धारण हेतु आयुक्त सहकारिता की कवीन्द्र कियावत की अध्यक्षता में शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रबंध संचालकों की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें कार्यक्रम आयोजन के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श हुआ ।

दिनांक 14.11.2016–''शिक्षा एवं प्रशिक्षण के जरिये सहकारिता का सशक्तीकरण'' विषय पर प्रत्येक ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण के माध्यम से सहकारिता के सशक्तीकरण हेतु सभी संस्थाओं के लिये प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराया जाये। प्रत्येक विकास खण्ड में इन कार्यक्रमों के प्रशिक्षण हेतु सहायक आयुक्तों, अंकेक्षण अधिकारियों, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा जिला सहकारी संघों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये। ऐसे कार्यक्रम के फोटो एवं कार्यक्रम प्रतिवेदन भी संकलित किये जाये ताकि प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण माडियूल्स बनाकर राज्य सहकारी संघ द्वारा समस्त उप/सहायक आयुक्तों को प्रेषित किया जायेगा।

दिनांक 15.11.2016– ''सहकारिता के माध्यम से कौशल उन्न्यन एवं उद्यमिता विकास'' हेतु जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जाये। इस कार्यशाला में कौशल उन्नयन में सक्षम विभागों यथा– जिला पंचायत, आई.टी.आई पॉलीटेक्निक एवं बैंक से संबधित अधिकारियों आहूत किये जाकर जिले के अन्दर कौशल उन्न्यन की गतिविधियों से उन्हें अवगत कराया जाये ताकि जिले में कौशल उन्नयन की संभावनाओं का पता भी लगाया जा सके।

दिनांक 16.011.2016 –'' सहकारिता के माध्यम से वित्तीय समावेशन'' विषय के अंतर्गत जिलों में कृषकों के नवीन खाते खुलवाना, किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण तथा किसानों को बचत के लिये प्रोत्साहित करने संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाये।

दिनांक 17.11.2016 –''सहकारिता के माध्यम से प्रमुख शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन'' विषय के अन्तर्गत यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाये कि प्रत्येक सहकारी समिति अपने कार्यस्थल पर स्वच्छता अभियान चलाया जाये तथा सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रमुख शासकीय योजनाओ तथा– मुख्य मंत्री फसल ऋण राहत योजना, फसल बीमा योजना तथा उर्वरक वितरण आदि से अवगत कराने संबधी जानकारी प्रेषित की जाये।

दिनांक 18.011.2016–'' सहकारिता में तकनीकी को अपनाना'' विषय के संबंध में सदस्यों के स्तर पर कोर बैंकिग का प्रचार–प्रसार किया जाये तथा विभागीय बेव पोर्टल '' ई कोऑपरेटिव'' के अन्तर्गत प्राप्त सुविधाओ से भी सदस्यों को अवगत कराने की कार्यवाही की जाये। साथ ही ई को ऑपरेटिव पर जिले से संबधित जानकारी अद्यतन एवं पूर्ण कराई जाना सुनिश्चित किया जावे।

दिनांक 19.11.2016 – ''सहकारिता क माध्यम से युवाओं एवं कमजोर वर्ग के सशक्तीकरण '' विषय पर कॉलेज /स्कूल स्तर पर युवाओं एवं महिलाओं की वाद विवाद प्रतियोगिता का यथा संभव आयोजन किया जावे। उक्त वाद विवाद के परिणामस्वरूप समक्ष में आये निष्कर्षों को संकलित कर मुख्यालय की नवाचार शाखा को प्रेषित किया जावे।

दिनांक 20.11.2016– ''सहकारिता के माध्यम से सुशासन सहकारी मूल्यों एवं नेतृत्व विकास'' के विषय पर जिले की सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को आहूत किया जाकर सुशासन, सहकारी मूल्यों एवं नेतृत्व विकास पर गोष्ठी आयोजित की जाये तथा यह निष्कर्ष भी निकाला जाये कि इस हेतु सहकारी संस्थाओं। पदाधिकारियों/अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा क्या उपाय किये जाना चाहिये। उक्त निष्कर्षों को संकलित कर मुख्यालय की नवाचार शाखा को प्रेषित किया जावे।

इसी तर्ज पर विभिन्न दिनांकों हेतु तय किये गये कार्यक्रमों हेतु राज्य स्तर पर आयोजन किये जाने हेतु प्रत्येक दिनांक आयोजन हेतु निम्नानुसार नोडल संस्था रहेगी।

दिनांक	विषय	संस्था का नाम
14.11.2016	शिक्षा एवं प्रशिक्षण के जरिये से सहकारिता का सशक्तीकरण	म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल।
15.11.2016	सहकारिता के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता विकास	सहकारी प्रबंध संस्थान भोपाल
16.11.2016	सहकारिता के माध्यम से वित्तीय समावेशन	भोपाल को ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक एवं एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, भोपाल
17.11.2016	सहकारिता के माध्यम से प्रमुख शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. भोपाल
18.11.2016	सहकारिता में तकनीकी को अपनाना	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्या. भोपाल एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या. भोपाल
19.11.2016	सहकारिता के माध्यम से युवाओं कमजोर वर्ग की महिलाओं का सशक्तीकरण	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. भोपाल
20.11.2016	सहकारिता के माध्यम से सुशासन, मूल्यों एवं नेतृत्व का विकास	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल

''सहकारिता में नवाचार'' कार्यशाला का आयोजन

धार। जिला सहकारी संघ द्वारा सहकारिता में नावाचार विषय पर कार्यशाला दिनांक 29.09.2016 को राम मंदिर परिसर माण्डव में आयोजित की गई। कार्यशाला में बडी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ गाईड भोजपाल थे। अध्यक्षता गाईड मोहम्मद कुरैशी ने की। विशेष अतिथि श्री राम गोरसिया, श्री अम्बाराम पटेल, श्री गौरीशंकर पटेल तथा श्री नवलसिंह पंवार संचालक जिला सहकारी संघ मर्यादित धार थे। शासन की मंशानुसार सहकारिता के क्षेत्र में नावाचार से संबंधित पर्यटन, परिवहन, सेवाप्रदाता और रहवासी सहकारी समितियों के गठन एवं इन संस्थाओ से होने वाले लाभों के विषय में बिन्दुवार विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर पर्यटन सहकारी समिति के तहत स्थानीय गाईडो, होटल, रेस्टोरेंट व रोजगार के साथ पर्यटन समिति के बेवसाईड बनाकर अंर्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार करने की चर्चा हुई। सेवा प्रदावा समिति के तहत सत्कार सेवाएं केन्टीन, वेल्डिग, घरेलू उपकरण, अंशपूंजी, मार्जित मनी के साथ वाहन क्रय के लिये ऋण चर्चा हुई।

''निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न''

इंदौर। महानगर सहकारी साख संस्था मर्यादित, इंदौर की अध्यक्ष/उपाध्यक्ष प्रतिनिधि पद हेतु निर्वाचन निर्विरोध दिनांक 13.10.2016 को निर्चाचन अधिकारी श्री एम.सी. मालवीय की अध्यक्षता में किये गये। इसमें सर्वप्रथम अध्यक्ष पद हेतु श्री नंदकिशोर कडेला सर्वसम्मति से नियुक्त घोषित किये गये। प्रतिनिधि इंदौर प्रीमियर को.ऑप.बैंक हेतु श्री भगवतीप्रसाद सक्सेना व जिला सहकारी संघ इंदौर के प्रतिनिधि हेतु श्री कांतिलाल कटलाना व संचालकगण – डॉ. आलोकसिंह चौहान, श्री मोहन भट्ट, श्री नरेन्द्र सिसौदिया, श्रीमती किरण कौशल, श्री मुकेश मेहरडे, श्री राजेन्द्र शुक्ला पद हेतु सर्वसम्मति से नियुक्त घोषित किये गये।

सहकारिता में स्थानांतरण

मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय

::: आदेश :::

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

क्रमांक : एफ 1–6/2016/15–2 राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं तथा संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शित स्थान पर आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :–

अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं

क्रं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री अरूण माथुर	प्रतिनियुक्ति पर सचिव, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल	प्रतिनियुक्ति पर सचिव, म.प्र. राज्य सहकारी लघु वनोपज व्यापार एवं विकास संघ मर्यादित भोपाल

संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं

1	श्री एच.एम. सिंघल	संयुक्त आयुक्त सहकारिता ग्वालियर	संयुक्त आयुक्त सहकारिता मुख्यालय भोपाल
2	श्री अभय कुमार खरे	उप सचिव, म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल	संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रीवा संभाग रीवा
3	श्रीमती गीता झा	संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं न्यायिक भोपाल संभाग	प्रतिनियुक्ति पर प्रबंधक म.प्र. राज्य सहकारी लघु वनोपज व्यापार एवं विकास संघ मर्यादित भोपाल
4	श्री आर.आर. सिंह	प्रतिनियुक्ति पर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ भोपाल	संयुक्त आयुक्त सहकारिता मुख्यालय भोपाल
5	श्रीमती रविकान्ता दुबे	प्रतिनियुक्ति पर प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक भोपाल	प्रतिनियुक्ति पर उप सचिव, म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल
6	श्री आर.एन. सिंह	संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रीवा संभाग रीवा	प्रतिनियुक्ति पर प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक भोपाल
7	श्री अनिल कुमार वर्मा	संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं न्यायिक इंदौर संभाग	संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं न्यायिक मुख्यालय भोपाल
8	श्री शिवनाथ कोरी	प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल	प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित भोपाल

2/ श्री अरूण माथुर, अपर आयुक्त सहकारिता द्वारा प्रतिनियुक्ति पर सचिव, म.प्र. राज्य सहकारी लघु वनोपज व्यापार एवं विकास संघ मर्यादित भोपाल का पदभार ग्रहण करने पर श्री माथुर को सचिव, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल का कार्यभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

3/ श्री आर.के. वाजपेयी, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं (न्यायिक) ग्वालियर को अपने कार्य के साथ–साथ संयुक्त आयुक्त सहकारिता ग्वालियर संभाग ग्वालियर एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता चम्बल संभाग मुरैना के पद का कार्य भार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

4/ श्री आर.आर. सिंह संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा संयुक्त आयुक्त सहकारिता संस्थाएं मुख्यालय भोपाल को अपने कार्य के साथ–साथ प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ भोपाल का कार्यभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

5/ श्री जगदीश कन्नौज संयुक्त आयुक्त इंदोर को अपने कार्य के साथ–साथ संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं (न्यायिक) इंदौर संभाग का कार्य भार अतिरिक्त रूप से सौपा जाता है।

6/ श्री ऋतुराज रंजन उपायुक्त सहकारिता महाप्रबंधक एकीकृत सहकारी विकास परियोजना भोपाल को अपने कार्य के साथ–साथ प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल का पदभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रकाश खरे) 24/10/16
उप सचिव
म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग

किसानों की आय दोगुना करने के लिये बनाये गये रोड मेप पर अभी से कार्य करें - श्री मीणा

भोपाल। किसानों की आय आगामी पांच वर्षों में दो गुनी करने के लिये कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों का रोड मैप तैयार कर उसे लागू किया जायेगा । भोपाल और होशंगाबाद संभाग के जिलों का जो जिलेवार रोडमैप तैयार किया गया है, जिलों में उस पर अभी से कार्य आरंभ कर दिया जाय । इस आशय के निर्देश कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी.मीणा ने भोपाल और होशंगाबाद संभाग के कृषि उत्पादन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में दिये । बैठक में खरीफ की समीक्षा के साथ साथ रबी फसलों की तैयारी, खाद–बीज की उपलब्धता पर चर्चा की गई ।

श्री मीणा ने कहा कि केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने से किसान की आय दो गुनी नहीं होगी बल्कि साथ पशु पालन, उद्यानिकी, वानिकी सहित आय देने वाली अन्य गतिविधियों को भी बढ़ावा देना होगा । किसान को हर स्त्रोत से होने वाली आय को एक साथ जोड़े जाने पर ही उसे होने वाली वास्तविक आय का आकलन हो सकेगा । इसके लिये किये जा सके समन्वित प्रयासों का नेतृत्व सभी कलेक्टर को स्वयं करना होगा । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अऋणी किसानों को भी दिलवाना सुनिश्चित किया जाये । उन्होंने किसानों के बीच फसल बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया ।

प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा ने संभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक अपनाने के लिये प्रेरित किया जाये । कृषि उत्पादन बढ़ाने में मिट्टी परीक्षण करवाकर किसानों को

उसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है । राज्य शासन द्वारा अब मिट्टी परीक्षण हेतु मिनी लैब विकासखंड स्तर पर लगाने का प्रयास किया जा रहा है । उन्होंने किसानों की आयु दुगना करने के लिये फसलों का विविधीकरण, फसल प्रजाति के प्रति स्थापन, मिश्रित खेती और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में किसानों को जागरूक करने पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि कम लागत की खेती तकनीक को बढ़ाया जाय । प्रगतिशील किसानों को और जागरूक बनाया जाये साथ सामान्य किसानों का उनके साथ संवाद कराया जाय । श्री राजौरा ने भोपाल और होशंगाबाद संभाग में जैविक खेती को और प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया ।

बैठक में सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी ने कहा कि कृषि कार्य में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण है । उन्होंने दोनों संभागों के सभी किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने तथा लोन रिकवरी में अऋणी कृषकों का भी फसल बीमा बनवाने को कहा ।

बैठक के प्रारंभ में भोपाल संभागायुक्त श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में भोपाल संभा के किसानों की खेती से होने वाली आय प्रति हैक्टर 19200 रूपये है । इसके अगले पांच वर्षों में दुगना करने के लिये पड़त भूमि का रकबा बढ़ाया जायेगा । साथ ही माइक्रो लेविल पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जायेंगी । वर्तमान में भोपाल संभाग में कुल 41 प्रतिशत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है । फसल सघनता बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ।

सभी जिला कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों में कृषि आय को दुगुना करने के संबंध में बनाये गये रोडमैप तथा कृषि के क्षेत्र में किये जा रहे नवाचारों के बारे में जानकारी दी । बैठक में दोनों संभाग के जिला कलेक्टर, जिला पंचायतों के सी.ई.ओ.सहित कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे ।

उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के लाभ के लिये आधार कार्ड जरुरी

इंदौर। राज्य शासन के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये विभाग में मध्यप्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर में विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का विवरण दिया गया है। कृषक अपनी इच्छा अनुसार योजनाओं में पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, बिना आधार कार्ड के पंजीकरण नहीं होगा। कृषकों से आग्रह किया गया है कि पंजीकरण करवाने हेतु कृषकगण वेबसाइट पर आधार कार्ड, फोटो पासपोर्ट साइज, खसरा बी–1, बैंक पास बुक, जिसमें लेन देन किया जाता है और अजा और अजजा वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र दस्तावेज के साथ कियोस्क सेंटर पर जायें।

किसान उपरोक्त दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर स्केन कराकर पंजीयन करा सकते हैं। पूर्व में कृषकों के द्वारा जो पंजीयन करवाया है, उनको पुनरू नये अपग्रेडेट सॉफ्टवेयर में कराना अनिवार्य है। योजना में प्रथम आओ–प्रथम पाओं के आधार पर अनुदान की पात्रता होगी। योजनाओं में डी.बी.टी. (डायरेक्ट बेनीफिसरीज ट्रान्जेक्शन) कर दिया गया है। योजनाओं के कुछ घटकों में, जिनमें कृषक द्वारा यदि सामग्री आदि क्रय नहीं की जाती है, वो कृषक योजनाओं के मापदण्डों का पालन करने के उपरांत किसी संस्था या कम्पनी से क्रय करता है, तो अनुदान राशि कम्पनी या संस्था के खाते में जमा की जायेगी। योजना अंतर्गत कृषकों को योजना के मापदण्डों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन करने पर अनुदान राशि सीधे कृषकों के बैंक खाते में प्रदाय की जायेगी।

योजनाओं का क्रियान्वयन 75 प्रतिशत क्लस्टर ग्रामों में किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत अन्य ग्रामों में किया जायेगा।

फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिये किसानों को किया जायेगा प्रोत्साहित

उच्च स्तरीय संभागीय समीक्षा बैठक सम्पन्न

इंदौर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की मंशा के अनुरूप मध्यप्रदेश में किसानों की आय को 5 साल में दुगुना करने के लिये प्रभावी पहल की जा रही है। इसी सिलसिले में इंदौर संभाग में किसानों की आय को 5 साल में दुगुना करने के लिये जिलेवार रोडमेप बनाया गया है। इस रोडमेप में वार्षिक लक्ष्य तय कर उनकी पूर्ति के लिये कारगर प्रयास किये जायेंगे। इंदौर संभाग में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिये किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा। किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उपाय बताये जायेंगे। इंदौर संभाग एवं इंदौर जिला अऋणी किसानों के बीमा करने के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है।

यह जानकारी आज यहां रेसीडेंसी सभाकक्ष में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी.मीणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई उच्च स्तरीय संभागीय समीक्षा बैठक में दी गयी। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि डॉ.राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव पशु पालन तथा मत्स्य पालन श्री अश्विनी राय, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, संभागायुक्त श्री संजय दुबे, आयुक्त सहकारिता श्री कवीन्द्र कियावत, संचालक कृषि श्री मोहनलाल मीणा सहित कृषि तथा इससे जुडे विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, संभाग के जिलों के कलेक्टर तथा जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद थे। बैठक में गत खरीफ 2016 के दौरान प्राप्त की गयी कृषि उपलब्धियों और आगामी रबी मौसम के दौरान बोनी, कृषि आदान वितरण सहित अन्य कृषि गतिविधियों की जिलेवार समीक्षा की गयी। बैठक को सम्बोधित करते हुये कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी.मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्रीजी की मंशा के अनुरूप अगले 5 वर्षों में कृषि आय को दुगुना करने का लक्ष्य है। इसके लिये संभाग के जिलों में जो रोडमेप तैयार किया गया है, उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। आगामी बैठक में इस रोडमेप के अनुसार प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को बढाने के लिये कृषि सहित इससे जुड़े उद्यानिकी, पशु पालन, मत्स्य पालन, डेयरी तथा वानिकी विभाग के अधिकारियों को समन्वित प्रयास करना होंगे। इन समन्वित प्रयासों का नेतृत्व कलेक्टर स्वयं करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में इंदौर संभाग में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अऋणी कृषकों का बीमा करने के क्षेत्र में इंदौर संभाग और इंदौर जिला पूरे प्रदेश में अव्वल स्थान पर है। उन्होंने कहा कि आगामी रबी मौसम में भी अऋणी कृषकों का बीमा करने पर विशेष ध्यान दिया जाये।

प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा ने कहा कि किसानों की आय को दुगुना करने के लिये फसल के विविधकरण, फसल प्रजाति के प्रतिस्थापन तथा मिश्रित खेती और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के संबंध में किसानों को जागरूक किया जाये। कम लागत की खेती तकनीक को बढावा दिया जाये। अंतवर्तिय फसल कार्यक्रम और यंत्रीकरण को भी प्रोत्साहित किया जाये। सिंचाई के साधन बढाये जायें। यह प्रयास किया जाये कि नलकूप की जगह कुंए खुदवाये जायें। प्रगतिशील किसानों को और अधिक जागरूक बनाया जाये। इन्हें प्रोत्साहित किया जाये कि ये अपने-अपने क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगायें। संभागायुक्त श्री संजय दुबे ने बैठक में इंदौर संभाग में गत खरीफ के दौरान प्राप्त उपलब्धि और आगामी रबी के कृषि कार्यक्रम की जानकारी दी। सभी जिला कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में कृषि आय को दुगुनी करने के संबंध में बनाये गये रोडमेप तथा कृषि के क्षेत्र में किये जा रहे नवाचारों की जानकारी दी।

सरकारी खर्च पर अब होगा चालक-परिचालक का बीमा अब श्रेष्ठ ड्रायवरों को भी मिलेगा पुरस्कार

इंदौर। परिवहन विभाग द्वारा परिवहन यान चालक व परिचालकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मोटरयान चालक-परिचालक कल्याण योजना-2015 संचालित की गई है।

इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश में पंजीकृत परिवहन यान लायसेंस धारक चालकों और परिचालकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास के उद्देश्य से स्वास्थ्य सुविधायें, कौशल उन्नयन, जीवन बीमा, दुर्घटना में स्थाई अपंगता होने पर पुनर्वासित करना, स्वरोजगार हेतु स्वयं का वाहन खरीदने में मदद करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जैसे विवाह, छात्रवृत्ति, अनुग्रह सहायता आदि लाभ प्रदान करना और राज्य के श्रेष्ठ चालकों को पुरस्कृत करना है।

इस योजना की पात्रता के लिये आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होकर उसके पास मध्यप्रदेश में व्यावसायिक चालक-परिचालक की जीवित अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) होना तथा आवेदक का नाम समग्र पोर्टल में अंकित होना आवश्यक है। योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सहायता संबंधित प्रशासकीय विभागों के माध्यम से विद्यमान योजना में पात्रतानुसार प्रदान की जायेगी।

संभागीय उपायुक्त परिवहन श्री संजय सोनी ने इन्दौर सम्भाग के सभी चालक-परिचालकों से अपील की है कि वे मोटरयान चालक-परिचालक कल्याण योजना-2015 के अन्तर्गत पात्रता के मापदण्ड की पूर्ति करते हुए योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी आवेदक अपने जिले के परिवहन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं तथा योजना के अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन-पत्र अपने जिले के परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

अधिकतम दूध देने वाली गायों के पालकों को मिलेगा गोपाल पुरस्कार

इंदौर। भारतीय नस्ल की अधिकतम दूध देने वाली गायों के पशुपालकों को गोपाल पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार देने के लिये विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे । अधिकतम दुध देने वाली गाय के लिये खण्ड स्तर पर प्रथम पुरस्कार 10 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार 7500 रूपये एवं तृतीय पुरस्कार 5 हजार रूपये का होगा। विकास खण्ड स्तर पर चुनी हुई प्रथम दस गायों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित कर सबसे अधिक दूध देने वाली गायों में प्रथम पुरस्कार 50 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार 25 हजार रूपये एवं तृतीय पुरस्कार 15 हजार रूपये का दिया जाएगा। जबकि शेष सात गायों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में पांच-पांच हजार रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी पशु पालन विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड से मध्यप्रदेश को मिला सिल्क मार्ग एवं वन्या लोगो

भोपाल। रेशमी वस्त्रों की शत-प्रतिशत गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने मध्यप्रदेश सिल्क फेडरेशन को सिल्क मार्क एवं वन्या लोगो प्रदान किया है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री एवं अध्यक्ष मध्यप्रदेश सिल्क फेडरेशन श्री अंतर सिंह आर्य ने यह जानकारी सिल्क फेडरेशन की वार्षिक आमसभा में दी। श्री आर्य ने कहा कि गुणवत्ता के चलते प्रदेश के सिल्क वस्त्रों की माँग दूसरे राज्यों में बढ़ती जा रही है।

श्री आर्य ने बताया कि संघ इस वर्ष भी लाभ की स्थिति में है। संघ ने वर्ष 2014-15 में रुपये 69 लाख 32 हजार का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। पिछले वित्त वर्ष में संघ ने लगभग 17 करोड़ 48लाख रुपये का कोकून और धागा क्रय और 15 करोड़ 62 लाख का ककून/धागा एवं वस्त्रों का विक्रय किया। श्री आर्य ने बताया कि संघ ने पिछले वित्त वर्ष में विक्रय मेले लगा कर लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपये के सिल्क वस्त्र का विक्रय किया। संघ इस वर्ष दिल्ली, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम्, कोलकाता, इंदौर, चंडीगढ़, लखनऊ, रतलाम और सूरत में होने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेगा। इन प्रदर्शनी में लगभग एक करोड़ रुपये के वस्त्र विक्रय की संभावना है।

प्रबंध संचालक श्री अनिल श्रीवास्तव ने संघ की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। संघ के बालाघाट, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मण्डला से आये सदस्यों ने भी अपने सुझाव और समस्याएँ रखीं।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए.
स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

AMOUNT AS ON 31.03.2015	Sr. No.	CAPITAL AND LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT AS ON 31.03.2016
		c. L.T. Loans (Secured against Coop. Paper)		
		Of which secured against		
		I. Govt. & Other approved securities		
		ii. Other Tangible securities		
	6	BILLS FOR COLLECTION BEING RECEIVABLE		
49,781,535.32	7	BRANCH ADJUSTMENT		14,843,423.86
	8	OVERDUE INTEREST RESERVE		
159,125,438.31	9	INTEREST PAYABLE (DEPOSIT)		174,326,763.95
64,929,142.91	10	OTHER LIABILITIES		64,043,350.02
		I. Suspense		
		a. Individual	11,745,042.37	
		b. Other Socs.	7,877,588.77	
		c. Unclaim D.D.	7,133,868.90	
		d. Migration Suspense	19,311,715.20	
		c. Other Liabilities	183,947.97	
		I. Elect.Bill payble - 20000.00+ Fraud secu. 36172.00 +		
		Tele.Bill payble 22000.00 +Service Tax Other Payable 105775.97		
		II. Sundries		
		a. Union Contribution	0	
		b. Audit Fee due	1,605,892.00	
		c. Cadre Fund	686,989.48	
		d. Fertilizer Sale Coll. A/c.	643.31	
		e.Beej protsahan rashi	1,167,660.00	
		f.vaidhyanathan {state &central Govt	68,788.00	
		g.Income Tax Payble		
		h. Sundries	7,945.00	
	11	Interest Not Collected	14,212,868.85	
0.00	12	OTHER LIABILITIES	40,400.17	
107,990,235.91	**13**	**PROFIT**		**156,323,338.53**
10,566,172,438.03		**TOTAL**		**13,436,737,944.60**

AMOUNT AS ON 31.03.2015	Sr. No.	PROPERTY AND ASSETS	AMOUNT	AMOUNT AS ON 31.03.2016
3,693,500.00		Computer 36,93,500.00		781,600.00
		(+)11,72,400.00		
		4,865,900.00		
		Less Depreciation (-) 40,84,300.00		
		781,600.00		
2,574,300.00		I.Jeep car 25,74,300.00		2,740,262.00
		(+ 4,52,662.00		
		3,026,962.00		
		(- 2,86,700.00		
		2,740,262.00		
1,421,182.95		Stationery Stock		1,837,179.95
12,643,870.72	12	OTHER ASSETS		40,782,083.77
		ii. Cadre Fund Contri. & Cadre officer pay receivable from Apex Bank	5,470,622.18	
		iii. Inquiry Account	252,874.00	
	13	Sundry Debtor	55,808.07	
	14	NEFT INWARD MESSAGES SUSP ACCT	21,830,379.05	
		v. Other Assets	13,172,400.47	
		Receivable from court (gratuity)-1807703.60 +Receiv.fromD.R.C.S 3345.93		
		M.P.E.B.&Telephone securi.125275.15+Dividnt Receiva.from APEX		
		Loan & Aid From ICDP 4448580.79+Recivable I.T. 80477.00+Reciv. From Central Govt ARDR 24408.00+Advance paid primi.1896996.00		
		Advance income tax4200000.00+ Recbl form nabard FLC 585614.00		
	15	NON BANKING ASSETS ACCOUNT IN SETALMENT OF THE CLAIMS		
	16	PROFIT AND LOSS		
10,566,172,438.03				**13,436,737,944.60**

LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2015 - 2016

AMOUNT AS ON 31.03.2015	Sr. No.	EXPENDITURE	AMOUNT AS ON 31.03.2016
316,093,216.86	1	Intt. On Deposit	349,616,991.83
378,758,834.00	2	Intt. On borrowing etc.	380,908,433.67
632,000.00	3	Intt. On Investment	690,100.00
137,842,562.70	4	Salaries, Allownces & P.F.	159,450,647.22
27,959.00	3	Director & Local Committee Member Fee & All Allowances	64,245.00
19,022,543.80	4	Rent, Tax, Insurance, Lighting etc.	12,489,352.68
		House Rent 12,93,901.63	
		Insurance 81,93,290.00	
		Lighting Charge 20,79,838.25	
		Tax paid 9,22,322.8	
		Vehicle 83,116+Property 37,104+	
		In.Tax 4,20,587.00+ServiceTax	
		381,515.80	
20,500.00	5	Law Charges	76,300.00
20,171.56	6	Postage Charges	65,630.64
307,473.77	7	Telephone Charges	319,669.99
4,961,581.00	8	Auditors fees Provision	1,410,640.00
36,964.00	9	Repair of Property	6,000.00
975,467.22	10	Stationery, Printing	1,700,082.60
70,420.00	11	Advertisement	166,558.00
6,823,655.00	12	Employee Cader Fund Contribution	6,746,572.00
1,519,898.00	13	Union Contribution	1,435.40
1,256,843.59	15	Contingents Expenses	1,479,068.55
917,693.37	16	Motar Expences	1,704,729.25
7,552,854.00	17	Computer Maintainance	7,570,322.92
1,332.00	18	Bank Commission Paid	1,087.39
59,650.00	19	Business Promotion Expenses	254,975.00
0.00	20	Loos on Investment	105,000.00
27,442.00	22	Training Exp	110,500.00
	23	Loos in Sell of Asetes	301,000.00
6,183,061.00	24	Depreciation	6,015,900.00
		PROVISION :-	
34,455,000.00	25	A. N.P.A. Principal	1,247,000.00
0.00	26	B.N.P.A. Interest	893,000.00
6,889,000.00	27	C. Against standard assets	0.00
240,823.00	28	D. Amanat Guarantee Fund	175,742.00
924,696,945.87		TOTAL	933,570,984.14
2,926,572.91	29	Balance of Profit	51,148,402.62
927,623,518.78		**GRAND TOTAL**	**984,719,386.76**

Sd/-
SHIVPRASAD PANWAR
CHIEF ACCOUNTANT(Incharge)

Sd/-
A.K.JAIN
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Sd/-
PURSHOTTAM SHARMA
DIRECTOR

Sd/-
MANOJ TARWALA
VICE CHAIRMAN

Sd/-
HUKUMCHAND YADAV
CHAIRMAN

As per report of even date attached
For TANMAY V. RAJURKAR &Co.
Chartered Accountants
F.R.N.No.012166C
Sd/-
CA Tanmay V. Rajurkar
Partner
M.No. 402857

अग्रेषित
सही/-
उपायुक्त, सहकारिता
जिला खण्डवा

निर्गमित
सही/-
संयुक्त रजिस्ट्रार
सहकारी सोसाइटियाँ

PROFIT ACCOUNT FOR THE YEAR 2015 - 2016

AMOUNT AS ON 31.03.2015	Sr. No.	INCOME	AMOUNT AS ON 31.03.2016
	1	Interest	
757,737,727.72		I. On loan	822,203,347.80
156,529,451.91		ii On Deposit	139,941,988.59
11,282,698.00		iii On Investment(Dividend)	9,578,624.93
930,516.53	2	Commission Exchange	506,702.98
284,650.00	3	Locker Rent	156,208.00
6,850.00	4	Entry Fees	14,370.00
851,624.62	5	Incidental Charges	2,026,368.40
0.00	6	Excess Prov of STD Assets	3,540,000.00
	7	Profit In Sell Of Asetes	87,200.00
	8	Income Tax Refund Received	5,275,190.00
	9	Service Charge	1,142,022.06
	10	Other Income	247,364.00
927,623,518.78		**TOTAL**	**984,719,386.76**

स्वतंत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन

प्रति,
सदस्यगण,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
खण्डवा,

वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमने **जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खण्डवा**, के दिनांक 31 मार्च 2016 के संलग्न वित्तीय विवरण जिसमें 31 मार्च 2016 का तुलनपत्र तथा उसी दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए **लाभ–हानि खाता और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण सम्बन्धी सूचनाएं शामिल है**, का हमने लेखा परीक्षण किया है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949(जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 और संबंधित नियमों के अनुसार तैयार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने से सम्बंधित इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण को लागू करना तथा उसका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है। प्रबंधन द्वारा दी गयी जानकारी एवं हमारे अंकेक्षण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण सत्य और उचित प्रतीत होकर जालसाजी या गलत कथन से मुक्त है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणो पर अपनी राय देना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानदंडो के अनुरूप लेखा परीक्षण किया है। इन मानदंडो के तहत यह अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस संबंध में एक उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाए और यह तय करें कि क्या ये वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गड़बड़ी से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच और राशि के समर्थन में संलग्न प्रलेख और वित्तीय विवरण के प्रकटन शामिल रहतें हैं। चयनित प्रकियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गड़बड़ी जो कि, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हुई है, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के वास्ते सत्य एवं उचित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और स्वतंत्र प्रस्तुतिकरण के बैंक के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार कता है, जो स्थिती अनुरूप उपयुक्त होते है।

लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं महत्वपूर्ण आकलन तथा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों का संपूर्ण मूल्यांकन भी शामिल रहता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आवश्यक एवं उचित अंकेक्षण प्रमाण प्रस्तुत किय गये, जो कि वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बनाने में सहायक रहे।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 और संबधित नियमों के अनुसार एवं सीमित प्रकटन आवश्यकताओं एवं उनके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए संलग्न वित्तीय विवरण जिसमें 31 मार्च 2016 का तुलनपत्र तथा उसी दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ–हानि खाता पर हमारा प्रतिवेदन निम्नानुसार है:

1. *बैंक ने लेखांकन मानक 3(केश फ्लो स्टेटमेन्ट), लेखांकन मानक 15 (इम्पलोई बेनीफिट), लेखांकन मानक 20 (अर्निंग पर शेयर), लेखांकन मानक 9 (रेवेन्यु रिकगनाईजेशन), तथा लेखांकन मानक 22 (डेफर्ड टेक्स), के मामले में अनुपालन और सूचना के प्रकटीकरण का पालन नहीं किया है जो कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए है।*

2. हम कम्प्यूटरीकृत (CBS) व्यवस्था में गैर निष्पादक समपत्तियों (NPA) की प्रविष्ट गलत दिनांक को होने के कारण गैर निष्पादक सम्पत्तियों (NPA) के सही वर्गीकरण (जो कि अवमानक और संदिग्ध सम्पत्तियों [sub standard&doubtful assets] में किया जाना था) को कम्प्यूटरीकृत (CBS) व्यवस्था द्वारा सत्यापित करने में असमर्थ है एवं उसके परिणाम स्वरूप खराब और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान [provision for bad &doubtful debts] के प्रभावों को निश्चित करने में **मैन्युअली** किया गया है।

3. *रोशनी शाखा में माइग्रेशन सस्पेंस खाता अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है। जिसके शेष निम्नअनुसार है।*

1 अप्रेल 2013 को शेष राशि – 83.88 लाख
31 मार्च 2016 को शेष राशि – 130.08 लाख
अंतर 46.70 लाख

उपरोक्त खाते को अग्रिम में दिखाने के कारण बैंक के अग्रिम 130.08 लाख से अधिक प्रदर्शित हो रहे है। जिसके कारण कृत्रिम ब्याज की आय भी उपरोक्त तिथियो के मध्य दर्ज की गई है।

4. वर्ष के दौरान कृषि बीमा पर किसी भी प्रकार की कमीशन आय को खातो में बैंक द्वारा नही लिया गया है। प्रति उत्तर में बैंक द्वारा हमे यह स्पष्टीकरण दिया गया कि बैंक को इस संबंध में किसी भी प्रकार की आय गत वर्ष 2015–16 में अर्जीत नही हुई है।

5. बैंक द्वारा टी.डी.एस. प्राप्य के संदर्भ मे उचित लेखांकन नहीं किया जा रहा हैं । कुछ एंट्रीज में **इनकम को कटे हुए टीडीएस से एडजस्ट कर कम से इनकम बुक की गई हैं** । इस कारण इनकम रूपए **९७७७६ से कम से बुक हुई हैं** ।

6. HO समाधान विवरण के अनुसार शाखा स्तर के दो खाते जो कि निम्नानुसार है,

क्रमांक	खाता क्रमांक	राशी
1	2501375050	639968836.33cr balance
2	1505435050	641756638.56dr balance

उपरोक्त के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण बैंक द्वारा नही दिया गया।

7. **बैंक द्वारा सेवा कर के सेनवेट केडिट** का लाभ सेवा कर चुकाने में नही लिया जा रहा है।

8. हमारी राय में, हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा मर्यादित राय के आधार के अनुच्छेद में वर्णित मामलों के प्रभाव के अलावा, वित्तीय विवरण बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) की धारा 31 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58(1) साथ में पठित मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के, नियम 50 और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार एक सत्य और उचित दृष्टिकोण देते है।

क तुलन पत्र के सम्बन्ध, तुलन पत्र बैंक की 31/03/2016 बैंक की स्थिती को दर्शाता है,

ख लाभ हानि खाते के सम्बन्ध में लाभ हानि खाता वित्त वर्ष के दौरान लाभ की राशि को दर्शाता है,

अन्य कानूनी और नियामक मामलों पर विवरण

हमारे अन्य विवरण निम्नानुसार है;

क हमारे द्वारा अंकेक्षण के उदेदश्य से सभी जानकारी और स्पष्टीकरण जो भी हमारे ज्ञान व विश्वास केलिए आवश्यक थे, प्राप्त किए गए है और वे संतोषजनक हैं।

ख हमारी जानकारी में बैंक ने जो व्यवहार किया है, वे बैंक की अधिकृत सीमा में है।

ग कार्यालयों और बैंक की शाखाओं से प्राप्त विवरणी हमारे लेखा परीक्षा के उदेदश्यों के लिए पर्याप्त पाई गई है।

घ तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता जो कि इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न हैं, वे कम्प्युटरराईज् खाताबहियों और विवरणीयों के अनुसार सही है।

ङ हमारी राय में ,वैधानिक रूप से जरूरी खातावहीया बैंक द्वारा उचित रूप से रखी गयी है। जैसा कि बैंक की बहियो के निरीक्षण से प्रतीत होता है।

च सतत शाखा अंकेक्षको द्वारा तैयार की गये शाखा प्रतिवेदनों को आवश्यकतानुसार हमारे प्रतिवेदन में समाहित किया गया है।

छ हमारे संज्ञान में व्ययों एवं आयो के सम्बन्ध में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की अनुचितता एवं अनियमितता नहीं पाई गयी।

बैंक को वित्त वर्ष 2015–16 के लिए अ वर्ग में रखा गया है।

वास्ते– तन्मय वी राजुरकर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
FRN – 012166 C

सी . ए . तन्मय वी . राजुरकर
साझेदार
सदस्यता क्र.402857

स्थान : खण्डवा

अंकेक्षक द्वारा प्रदत्त वर्ग अ की पुष्टि की जाती है।
संयुक्त रजिस्ट्रार
सहकारी सोसाइटियाँ
इन्दौर

प्रधानमंत्री की फ्लेगशिप स्कीमों में मध्यप्रदेश का देश में बेहतर प्रदर्शन

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में देश में आम नागरिकों के व्यापक हित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश में बेहतर काम हुए हैं। कई योजनाओं में प्रदेश किसी में अव्वल तो किसी में प्रथम दस में है। हाल ही में अमृत योजना के अमल में बेहतर परफार्मेंस पर अवार्ड भी मिला है। यह जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने दी।

स्वच्छ भारत मिशन, जो प्रधानमंत्री की फ्लेगशिप स्कीम में शामिल है, में पूर्ण व्यक्तिगत शौचालयों की स्वीकृति में प्रदेश देश में पहला है। पूर्ण कार्यों की जानकारी फोटो सहित अपलोड करने में देश में तीसरे नम्बर पर है। इस मिशन में प्रदेश को वर्ष 2019 तक 7 लाख 31 हजार शौचालय बनाना है। इसमें से 4 लाख 60 हजार शौचालय की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसमें से लगभग ढाई लाख बन चुके हैं। लक्ष्य है कि दिसम्बर 2016तक 68नगरीय निकाय को ओ.डी.एफ. मुक्त घोषित कर दिया जाए।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में 378नगरीय निकायों में घरों से कचरा इकटठा करने से वैज्ञानिक तरीके से उसके निपटान के 26समूह की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसमें 25 नगरीय निकाय के तीन समूह में पी.पी.पी. के आधार पर काम भी शुरू हो चुका है। इसमें एक समूह में बिजली उत्पादन और 2 समूह में जैविक खाद का उत्पादन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 23 समूह में मार्च 2016-17 में कार्य शुरू होगा। इसमें 4 समूह में बिजली उत्पादन और 19 समूह में जैविक खाद का उत्पादन किया जायेगा।

अमृत योजना

अमृत योजना में एक लाख से अधिक आबादी के 34 शहर का अधोसंरचना विकास किया जायेगा। इसके लिए भारत सरकार ने नवम्बर 2015 में 8,279 करोड़ से अधिक की समग्र योजना स्वीकृत की है। योजना में मध्यप्रदेश कार्य स्वीकृति और संपादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है। योजना के प्रथम चरण में 2243 करोड़ 30 लाख रुपये लागत की 31 योजना स्वीकृत हैं। इसमें 20 योजना, जिनकी लागत 1435 करोड़ 82 लाख है, में काम शुरू हो चुका है। ग्यारह योजना में निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिनकी लागत 1425 करोड़ 15 लाख है। इस योजना में 2 घटक है पहला घटक जल आवर्धन का है। इसमें 818करोड़ की 17 योजना है जिसमें से 560 करोड़ 24 लाख की 14 योजना में काम शुरू हो चुका है। दूसरा घटक सीवेज प्रबंधन का है। इसमें 1421 करोड़ 88लाख की 13 योजना शामिल है। छै योजना, जो 875 करोड़ 58हजार की है, पर काम शुरू हो चुका है। योजना में मध्यप्रदेश को भारत सरकार ने 33 करोड़ 45 लाख का प्रोत्साहन अनुदान अवार्ड दिया है। जिसे 30 सितम्बर को नई दिल्ली में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू से ग्रहण किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना

वर्ष 2015 में सबको आवास उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। इसमें प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 5 लाख आवास बनाए जाने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने प्रथम चरण में 60 हजार आवास बनाने की योजना स्वीकृत कर दी है। इसके साथ ही वर्ष 2022 तक 53 शहर में 8लाख 80 हजार आवास निर्माण की कार्य-योजना को और स्वीकृत किया गया है। योजना स्वीकृति में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा है। योजना में 22 शहर की 24 परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। निविदा प्रक्रिया में 17 शहर की 8 परियोजना हैं। योजना में मध्यप्रदेश देश में केन्द्रांश प्राप्त करने वाला पाँचवां राज्य है।

स्मार्ट सिटी

जून 2015 में स्मार्ट सिटी योजना भारत सरकार ने लागू की। इस योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 3 शहर भोपाल, इंदौर और जबलपुर का चयन किया गया, जो देश में सर्वाधिक थे। इसी तरह बाद में दो और शहर ग्वालियर और उज्जैन को भी इसमें शामिल किया गया। सात शहर के प्रस्ताव में से पाँच को भारत सरकार से स्वीकृति मिली है। शेष सागर और सतना को स्वीकृति प्राप्त होने की प्रक्रिया जारी है। प्रथम चरण में शामिल स्मार्ट शहर में योजना के क्रियान्वयन के लिए एस.पी.व्ही. गठित की जा चुकी है। भोपाल शहर के लिए 3437 करोड़ की परियोजना बनाई गई। इसमें 10 हजार462 करोड़ की 11 परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। इंदौर शहर के लिए 5099 करोड़ की परियोजना बनाई गई, जिसमें से 115 करोड़ की 10 परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। जबलपुर शहर के लिए 3,998करोड़ की परियोजना में से 3 परियोजना, जिनकी लागत 13 करोड़ 20 लाख है, पर काम शुरू हो चुका है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

शहरी क्षेत्रों में गरीबी समाप्त करने के लिए आजीविका के लिए कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश के 55 शहर में यह मिशन शुरू किया गया है। इसमें प्रशिक्षण देने के बाद स्व-रोजगार स्थापित करने में सरकार मदद करेगी। योजना में पिछले वित्त वर्ष में कौशल प्रशिक्षण के जरिये 40 हजार के लक्ष्य से ज्यादा 42 हजार 597 हितग्राही प्रशिक्षित किये गये। इस वर्ष 40 हजार के लक्ष्य विरुद्ध अभी तक 36हजार 444 हितग्राही प्रशिक्षित हो चुके हैं। मध्यप्रदेश इस मामले में देश में पहले स्थान पर है। मिशन में पिछले वित्त वर्ष में 13 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध 14 हजार 327 हितग्राही लाभान्वित हुए है।

इसके अलावा प्रदेश का भारत सरकार की अन्य योजनाओं में भी बेहतर परफार्मेंस रहा है। सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास में पिछले वित्त वर्ष में 3050 के लक्ष्य के विरुद्ध 3870 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इस वर्ष अब तक 981 हितग्राही लाभ पा चुके हैं। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है।

शहरी आवासहीनों की आश्रय योजना के क्रियान्वयन में भी प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता योजना में प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। योजना में अब तक 68 हजार 777 के लक्ष्य के विरुद्ध 63 हजार 683 हितग्राही व्यवस्थापित किए गए हैं।

प्रदेश को मिली राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की सौगात

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. शर्मा एवं पशुपालन मंत्री श्री आर्य ने किया भूमि-पूजन

भोपाल। होशंगाबाद के कीरतपुर (इटारसी) में उत्तरी भारत का राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापित होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा और पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने 80 एकड़ में बनने वाले सेंटर का भूमि-पूजन किया। सेंटर 2 वर्ष में बनकर तैयार होगा।

केन्द्र शासन द्वारा देश में दो राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापना की स्वीकृति दी गयी है। इनमें से दक्षिण क्षेत्र का सेंटर आंध्रप्रदेश में और उत्तर क्षेत्र का मध्यप्रदेश (कीरतपुर) में स्थापित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर में बनने वाले सेंटर के लिये केन्द्र शासन द्वारा 25 करोड़ की राशि विमुक्त की गयी है। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम इसका निर्माण करवायेगा।

उच्च गुणवत्ता का होगा जर्मप्लाज्म

सेंटर की स्थापना राष्ट्रीय-स्तर के पशु प्रजनन केन्द्र के रूप में की जा रही है, जहाँ देशी नस्लों का उ%च अनुवांशिकता का प्रमाणित जर्मप्लाज्म उपलब्ध रहेगा। नस्लों का संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नयन होगा, जिनमें गाय की 39 और भैंस की 13 नस्ल शामिल हैं। प्रथम चरण में गाय एवं भैंस की 15-15 नस्ल का चयन किया जायेगा।

केन्द्र में होंगी आईवीएफ लेब

देश के पशुपालकों और पशुपालन संस्थाओं को देशी नस्लों के उच्च अनुवांशिक सांडों का सीमन, भ्रूण, हीफर आदि उपलब्ध करवाने के लिये केन्द्र में सीमन सेंटर और आईवीएफ लेब भी स्थापित की जायेगी।

देश-प्रदेश का बढ़ेगा दुग्ध उत्पादन

गाय-भैंसों की नस्ल सुधार होने से प्रदेश सहित देश में उच्च गुणवत्ता वाले दुधारु पशु बढ़ेंगे। इससे न केवल दूध की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि दुग्ध उत्पादों पर भी असर पड़ेगा।

हायर डिप्लोमा इन को-आपरेटिव्ह मैनेजमेंट में

प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में दिनांक 03 अक्टूबर 2016 से बीस सप्ताह की अवधि के सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (HDCM) में प्रवेश हेतु स्वाध्यायी/संस्थागत/विभागीय प्रशिक्षणार्थियों से सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पाठ्यक्रम शुल्क रूपये 6000/- है। (अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी)। अभ्यर्थी 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक स्तर के प्रशिक्षार्थियों को प्राथमिकता दी जायगी। पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर से संबंधित विषय भी सम्मिलित है।

आवश्यक जानकारी हेतु संपर्क करें-

1. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैदान इन्दौर दूरभाष 0731- 2410908 मो. 9826031440
2. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र हनुमानताल जबलपुर दूरभाष 0761-2341338 मो. 9407059752
3. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र ई-8/77,शाहपुरा त्रिलंगा,भोपाल 0755-2725518 मो. 9425377233
4. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर दूरभाष 07685-256344 मो. 9826876158

किसानों की आय अगले पांच वर्षों में दुगुनी होगी

कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा सभी जिलों के रोडमेप की समीक्षा की गई

उज्जैन। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रेमचन्द मीना ने किसानों की पांच वर्षों में आय दुगुनी करने के सिलसिले में जिलों द्वारा तैयार किये गये रोडमेप की संभागीय समीक्षा की। उन्होंने इसी रबी से आने वाले पांच साल तक कृषि के तरीकों में लाये जाने वाले बदलावों पर संभाग के सभी कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने जिला अधिकारियों द्वारा बनाये गये रोडमेप पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसको जिले की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। कृषि उत्पादन आयुक्त ने संभाग के सभी जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिये हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे पर जायें, तो बीज व खाद के सेम्पल लेकर इनकी गुणवत्ता की जांच अवश्य करवायें। उन्होंने कहा कि खराब बीज व खराब दवाई के कारण कृषि उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि डॉ.राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री अश्विन राय,

संभागायुक्त डॉ.रवीन्द्र पस्तोर, सहकारिता आयुक्त श्री कवीन्द्र कियावत सहित विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख मौजूद थे।

रोडमेप के प्रमुख बिन्दु

आगामी पांच वर्ष में किसानों की आय दुगुनी करने के लिये सभी जिलों द्वारा प्रमुख रूप से जिन बिन्दुओं पर जोर दिया गया, उनमें कृषि लागत में कमी लाना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, बीज प्रतिस्थापन करना, तकनीकी हस्तांतरण करना, कृषि क्षेत्र में विस्तार करना, कृषि का विविधिकरण करना, वित्तीय प्रबंधन, किसानों को बेहतर मूल्य दिलवाना, उद्यानिकी का समावेश, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना, सब्जी, मसाला, औषधि व पुष्प क्षेत्र में विस्तार करना, भण्डारण क्षमता में वृद्धि करना, कोल्ड स्टोरेज बढ़ाना आदि शामिल हैं।

बैठक में संभागायुक्त डॉ.रवीन्द्र पस्तोर ने कहा कि इस बार खरीफकी फसल बहुत अच्छी हुई है। इसी तरह अच्छी वर्षा के कारण रबी में भी रकबा बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि संभाग में कृषि आदानों की पर्याप्त उपलब्धता है। इससे उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। बैठक में सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी ने कहा कि सहकारिता की भूमिका कृषि कार्य में महत्वपूर्ण है। विगत एक वर्ष में उज्जैन संभाग में 186 करोड़ रूपये का ग्रांट स्वीकृत किया गया है। उन्होंने शत-प्रतिशत किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा लोन रिकवरी के लिये कलेक्टर्स को पहल करने के लिये कहा। श्री केसरी ने अऋणी कृषकों का भी फसल बीमा करने को कहा है।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने भी अपनी तरफ से सुझाव एवं कार्यों की जानकारी दी। उज्जैन जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रूचिका चौहान ने बताया कि उज्जैन जिले में 300 कपिलधारा के कुए मार्च अन्त तक निर्मित हो जायेंगे। इसी तरह मनरेगा में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ 179 पुराने तालाबों की मरम्मत भी कराई जा रही है। जिले की गौशालाओं में चारा विकास करने की योजना भी तैयार की गई है। रतलाम जिला पंचायत सीईओ ने गृह सिंचाई योजना अन्तर्गत किसानों द्वारा बनाये गये तालाबों की जानकारी दी।

बैठक में मंदसौर, रतलाम, नीमच, शाजापुर, आगर, उज्जैन के कलेक्टर्स एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक, विपणन संघ के प्रबंध संचालक एवं मत्स्योद्योग के संचालक मौजूद थे।

मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना

भोपाल। बच्चों के दिल के इलाज के लिये प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना लागू है। इस योजना के तहत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एवं जो गरीबी रेखा के नहीं है तथा अपने बच्चों का इलाज करा पाने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे परिवार के शून्य से 15 वर्ष के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का उपचार व ऑपरेशन के लिये अधिकतम एक लाख रूपये तक की राशि शासकीय तथा शासन से मान्यता प्राप्त अशासकीय अस्पतालों को प्रदाय की जाती है। इस योजना के सभी प्रकरण जिला स्तर पर स्वीकृत किये जाते हैं। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अन्तर्गत सहायता राशि प्राप्त करने के लिये रोगी को जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र भरकर देना होता है। आवेदन के संलग्न प्रपत्र में सक्षम अधिकारी का बीपीएल, एपीएल का प्रमाणीकरण, सिविल सर्जन का प्रमाण-पत्र, जिसमें बीमार का नाम, उपचार पैकेज व चिकित्सालय के नाम का उल्लेख होता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से उपचार राशि की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर राशि स्वीकृत की जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपचार हेतु स्वीकृति आदेश जारी कर उपचार राशि ई-बैंकिंग के द्वारा सम्बन्धित चिकित्सा संस्था को भेजी जाती है।

अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 रुपये प्रतिमाह

भोपाल। राज्य शासन ने वृद्धजन, विधवा, परित्यक्ता एवं निशक्त हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 150 रुपये की दर से दी जाने वाली पेंशन दरों को पुनरीक्षित करते हुए 300 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया है। पुनरीक्षित दर का वास्तविक लाभ अक्टूबर माह से मिलना शुरू हो जायेगा।

योजना में छह वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष के दिव्यांग, जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होने और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को मिलने वाली पेंशन दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि के नाम से दी जायेगी।

प्रदेश में मेगा फूड पार्क की स्थापना को प्रोत्साहन
पार्क स्थापना पर 5 करोड़ तक की सहायता

भोपाल। प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये मेगा फूड पार्क की स्थापना पर राज्य सरकार द्वारा रियायतें दी जा रही हैं।प्राइवेट सेक्टर में 30 एकड़ भूमि पर मेगा फूड पार्क की स्थापना पर परियोजना लागत का 15 प्रतिशत और अधिकतम 5 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों पर देय है। अनुदान की यह राशि टॉप-अप के रूप में देय है। मेगा फूड पार्क की स्थापना पर प्रवर्तकों को भी रियायत का लाभ दिया जा रहा है। प्रवर्तकों को स्पेशल पर्पज व्हीकल को स्थानान्तरित भूमि में भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है। मेगा फूड पार्क में विकसित कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये उपयोग में लायी गई भूमि का समायोजन, इकाई द्वारा माँग की गई भूमि में 30 प्रतिशत की वृद्धि कर किया जायेगा। इस प्रकार इकाई के हिस्से में आई भूमि क्रय की लिखित पर प्रभार्य शुल्क का समायोजन किया जायेगा और यदि समायोजन पर कोई शुल्क लगाया जाना अपेक्षित नहीं होगा तो अन्तरण के लिये न्यूनतम शुल्क केवल 500 रुपये होगा। मेगा फूड पार्क को दिये जाने वाले अनुदान एवं सहायता की स्वीकृति उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण संचालनालय द्वारा की जा रही है।

खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों में शोध एवं विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित किये जाने पर भी रियायत दी जा रही है। मेगा फूड पार्क में पेटेंट प्राप्त करने पर प्रत्येक पेटेंट के लिये 5 लाख रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान भी रखा गया है। खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये छूट दी जा रही है। हवाई एवं सड़क मार्ग के माध्यम से इनलेंड कंटेनर डिपो तक नश्वर उत्पादों के परिवहन पर खर्च की गई राशि के 30 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान भी मेगा फूड पार्क की प्रमोशन पॉलिसी में रखा गया है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।